गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 485/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 26.05.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 26.05.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 210th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 26-05-2025.

———0———

महोदय/महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 26.05.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 210वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 210th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 26-05-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 486/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 26.05.2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.

02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.

03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Finance/Incharge University website for information and necessary action.

04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 26.05.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 26.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव, अधिष्ठाता/निदेशक–अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 सी.एस. बझलवार	सदस्य
6.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा, प्रभारी–अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	प्रो0 सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
12.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
13.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
14.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	डॉ0 सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 आर.के. चौबे, ओ.एस.डी. यांत्रिकी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 बी.डी. मिश्रा
2. प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति
3. डॉ0 एम.एस. धपोला
4. प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी
5. प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी
6. डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल
7. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव
8. प्रो0 आलोक कुमार सिंह कुशवाहा

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाये रखने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। इस प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

26/05/2025

26/05/2025

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने वाले सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अध्यादेश एवं विनियमों का प्रारूपण किया जाय। अध्यादेश एवं विनियम प्रारूपण हेतु प्रारूपण समिति का गठन किया जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 03. दिनांक 07–08 फरवरी, 2025 को समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "एक सकारात्मक उत्तरदायी समाज और राष्ट्र के निर्माण की ओर" के व्यय के वित्तीय निपटान और प्रतिपूर्ति के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दिनांक 07–08 फरवरी, 2025 को समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "एक सकारात्मक उत्तरदायी समाज और राष्ट्र के निर्माण की ओर" के व्यय के वित्तीय निपटान और प्रतिपूर्ति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार निर्णय को भविष्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत न किया जाय एवं किसी भी सम्मेलन के लिए स्वीकृत धनराशि के अंदर ही आवश्यक व्यय किया जाय एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय।

विषय क्र. 04. बाल पुस्तकालय (चिल्ड्रन सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी) प्रारम्भ किये जाने हेतु विस्तृत योजना पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बाल पुस्तकालय (चिल्ड्रन सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी) प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्तुत योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त योजना का नाम जीजीवी बाल पुस्तकालय योजना (GGV BPS) रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उक्त योजना के संचालन हेतु आवश्यक विनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय। इस योजना का क्रियान्वयन दान में प्राप्त हुई धनराशि /पुस्तकों से की जायेगी। अतः विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान का संहयोग इसमें नहीं होगा।

विषय क्र. 05. शैक्षणिक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ के प्रवेश स्तर पर अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान नहीं किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने शैक्षणिक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ के प्रवेश स्तर पर अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान नहीं किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रभावित शिक्षकों से यह वचनपत्र (Undertaking) ले लिया जाय कि वे प्रदत्त अग्रिम वेतनवृद्धि की वसूली स्वेच्छा से कराना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते है।

वर्तमान में ऐसे शिक्षक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदत्त अग्रिम को विश्वविद्यालय को लौटाना चाहते है उन्हें वसूली योग्य पाये गये कुल धन राशि को किस्तों में भी जमा करने का विकल्प प्रदान किया जाय।

26/05/2025 26/05/2025

ऐसे शिक्षक जो वर्तमान में वसूली योग्य राशि की कटौती नहीं कराना चाहते है, उनके प्रकरणों का निराकरण या वसूली भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीएजी आदि से यथा समय प्राप्त दिशा–निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस संबंध में शिक्षकों से वचन पत्र (Undertaking) लिया जा सकता है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग का नाम परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि **"आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग"** का नाम **"आंग्ल एवं अन्य भाषा विभाग"** किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार नाम का परिवर्तन विश्वविद्यालय के परिनियम में संशोधन के उपरान्त ही मान्य किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विभिन्न विद्यार्थी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये। प्राप्त अभ्यावेदनों में विद्यार्थियों ने असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष एटीकेटी परीक्षा आयोजित किये जाने की मांग की गई है।

प्राप्त अभ्यावेदन एवं विषय पर विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत् हैं तथा उनका पूर्व के किसी सेमेस्टर में या सेमेस्टरों में एटीकेटी है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के प्रभावी सेमेस्टर के परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर विशेष एटीकेटी परीक्षा का आयोजन किया जाय एवं तद्नुसार परिणाम की घोषणा पुनः की जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों या समाज के लोगों से जुड़ने संबंधी कार्यक्रमों के समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये गये सामाजिक कार्यक्रमों या समाज से जुड़ने वाली योजनाओं के नियंत्रण, परीक्षण, पर्यवेक्षण एवं सुचारू संचालन इत्यादि हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय। यह नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्यों में से नामित किया जाय। नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

26/05/2025
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

26/05/2025
कुलपति/अध्यक्ष